

अति तत्काल  
आर टी आई मामला

सं. 14036/322/2013-यू टी पी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

\* \* \*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,  
दिनांक: 1<sup>अ</sup> मई, 2013

सेवा में

पुलिस उपायुक्त,  
लोक सूचना अधिकारी,  
पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट,  
नई दिल्ली।

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत श्री नरसिंह द्वारा मांगी गई सूचना।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक शून्य के उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 17.04.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है। चूंकि आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत इसे उपयुक्त कार्रवाई हेतु आपको अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा कर दिया है।

भवदीया,

*Issued with encd.  
1235  
7/5.*

*E/C KJ-2013*  
(एस. सुधा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं  
अवर सचिव (डी पी-11)  
दूरभाष : 23092856

संलग्नक: यथोपरि

प्रतिलिपि:

श्री नरसिंह पाण्डेय, गौतमबुद्ध नगर, नगरपालिका नौतनवा, महाराजगंज (उ.प्र.)। इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम और पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

2329/RTI/2013  
11/4/13

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन पत्र

निवेदक-

नरसिंह पाण्डेय

गौतम बुद्ध नगर,

नगर पालिका नौतनवा, महाराजगंज।

सेवा में,

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

गृह मंत्रालय, भारत सरकार।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि निवेदक को भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली थाना क्षेत्र के सोनौली सीमा पर दिनांक 20 मार्च 2013 को पकड़े गये आतंकी लिकायत अली साह के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना वांछित है-

1-लिकायत अली साह मूल रूप से कहां का निवासी है और पाकिस्तान में कहां रह रहा था।  
2-लिकायत अली साह के साथ कुल कितने सदस्य सीमा पार करते समय सुरक्षा एजेन्सियों के गिरफ्त में आये। उनके नाम व पता एवं अब वह कहां है।

3-सोनौली सीमा पर लिकायत अली के पकड़े जाने के बाद उससे कितने अधिकारियों ने पूछताछ किया। पूछ ताछ करने वाले अधिकारियों के नाम एवं पद नाम।

4-जामा मस्जिद नई दिल्ली के गेस्ट हाउस में भारी मात्रा में असलहे एवं विस्फोटक कहां से आये। उक्त असलहे एवं विस्फोटकों को लाने वाले व्यक्तियों के नाम एवं पता।

5-सोनौली सीमा पर वर्ष 1995 से अब तक कुल कितने संदिग्ध आतंकी पकड़े गये। पकड़े गये उन आतंकियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी।

6-अबतक कुल कितने संदिग्ध एव आतंकी को पुनर्वास योजना के तहत जम्मू काश्मीर राज्य में बसाया जा चुका है।

7-जम्मू काश्मीर के मुख्य मन्त्री द्वारा किस आधार पर लिकायत अली को संदिग्ध की श्रेणी में नहीं माना जा रहा है।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि निवेदक से निर्धारित शुल्क लेकर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक

रू0 10 भा0पो0आ0कमांक

12F 514156

भुवदीय

नरसिंह पाण्डेय

नरसिंह पाण्डेय

उपाध्यक्ष

हिन्दु युवा वाहिनी महाराजगंज।

DIR CIS-11  
USC (DR)

452